



केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क तथा सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
पी.बी.नं 13, आई.सी.ई.भवन, प्रेस क्लब रोड, तिरुवनंतपुरम 695001
P.B.No.13, I.C.E.BHAVAN, PRESS CLUB ROAD. THIRUVANANTHAPURAM 695001


व्यापार सूचना सं. 13/ 2016 दिनांक 10.06.2016

विषय : अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ,2016- संबंधित

आयुक्त (अपील) के समक्ष वर्ष 2016 मार्च 1 के अनुसार अपील में लंबित विवादों के शीघ्र निपटान के लिए दिनांक 31 मई 2016 के अधिसूचना संख्या 29/2016-सीई (एनटी) द्वारा अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2016, अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क तथा सेवा कर से संबंधित सभी लंबित विवादों को इस योजना में शामिल किया जाता है। एक कर निर्धारिती, नामित अधिकारी को घोषणा दे सकेगा और इसका पावती प्राप्त कर सकते हैं। घोषणाकर्ता को पावती प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर ब्याज और 25% की दर में जुर्माना सहित, देय शुल्क का भुगतान करना चाहिए और भुगतान करने के 7 दिनों के अंदर भुगतान का विवरण और उसके प्रमाण सहित नामित अधिकारी को सूचित करना चाहिए। ऐसे प्रमाण के प्राप्त होने पर नामित अधिकारी को 15 दिनों के अंदर प्राप्य रकम की चुकौती संबंधित आदेश पारित करना है। ऐसे मामलों पर निर्धारिती के विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दिया जाएगा और उन्हें अभियोजन से छुटकारा मिलेगा। घोषणा करने की अंतिम तिथि वर्ष 2016 दिसंबर 31 को है। अधिक विवरण और घोषणा फॉर्म के लिए हमारे वेबसाइट www.cbec.gov.in देखें।

श्री एस.राजीव कुमार, सहायक आयुक्त (केंद्रीय उत्पादशुल्क तकनीकी), तिरुवनंतपुरम मुख्यालय को तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय से संबंधित अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 के नामित अधिकारी के तौर पर नामोद्दिष्ट किया गया है।

(फाइल सं IV/16/3/2016-के.उ.शु.तक से जारी की जाती है)


(एम श्रीधर रेड्डी)
आयुक्त

सेवा में,

- 1 तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय के वितरण सूची I, II, व III ए के अनुसार
- 2 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा सेवा कर मुख्य आयुक्त, कोचि
- 3 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा सेवा कर आयुक्त, कोचि/कालिकट
- 4 सूचना पट्ट